न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या–04/2019
वाद प्रस्तुति दिनांक–30.01.2019
निर्णय दिनांक–20.04.2022

1. नेहनूलाल पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. मनभर पुत्री नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. अम्बालाल पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. रतनी पुत्री नानगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. श्रवणी धर्मपत्नि स्व. धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. खुशीराम पुत्र स्व. धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. धोली पुत्री स्व. धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. फोरन्ता पुत्री स्व. धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. लाली पुत्री स्व. धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. सोना पुत्री स्व. धन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. उपपंजीयक पीपलू

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण–श्री ओमप्रकाश यादव
प्रतिवादीगण–अनुपस्थित

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि खाता संख्या 490 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 453/2 रकबा 00–15 बीघा वाके ग्राम डारडातुकी पटवार हल्का डारडातुकी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

विभाज्य कृषि आराजीयात है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/6–1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या
ता 03 का 1/6–1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा है। उक्त वर्णित
राजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति है। उक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण ने बंहामी
वारा कर रखा है और बंहामी बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्से पर बहैसियत
तेदार मालिक, स्वामी के काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् तकास्मा नहीं होने के
रण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लगान आदयगी को लेकर आपस मे विवाद उत्पन होता रहता हैं एवं
वादीगण बिना विधिवत् तकास्मा के उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य के हक में रहन, दान, बेचान करने
आमादा है। इस कारण उक्त आराजीयात का वादी हक व हिस्से के अनुसार विधिवत् तकास्मा करवाया जाकर
ग से खाता कायम करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल
स्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी हैं। पत्रावली के अवलोकन
अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया जाकर किया गया। खाता संख्या 490 में वर्णित भूमि आराजी
453/2 रकबा 00–15 बीघा वाके ग्राम डारडातुर्की पटवार हल्का डारडातुर्की वादीगण व प्रतिवादी संख्या
09 की संयुक्त खातेदारी में होने एवं राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के कारण वर्णित
यात का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार
को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर
व हक, हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था, साथ ही
दार, पीपलू को आदेशित किया जाता हैं उक्तानुसार मय नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में तकास्मा रिपोर्ट
कर न्यायालय हाजा को भिजवावें। उक्तानुसार तकास्मा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तहसीलदार पीपलू के
मू.अ./39.07 दिनांक 27.10.2021 से न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी हैं।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण की
बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए वाद वादीगण डिक्री
ने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर वाद बाबत् तकास्मा
त स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट
वाके ग्राम डारडातुर्की पटवार हल्का डारडातुर्की में स्थित भूमि आराजी ख0न0 453/2 रकबा 0.0949 हैक्ट.
व प्रतिवादी संख्या 01 नेनूलाल, रामनारायण पि0 नानगा व मनभर पुत्री नानगा जाति गुर्जर निवासी सा.देह
हिस्सा बराबर संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा व ख0न0 453/2 रकबा 0.0948 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या
लाल पुत्र नानगा हि. 1/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार, प्रतिवादी संख्या 03 रतनी पुत्री नानगा हि. 1/3
र सा.देह खातेदार व प्रतिवादी संख्या 04 ता 09 श्रवणी पत्नि स्व. धन्ना, खुशीराम पुत्र स्व. धन्ना, धोली,

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

, सोना पुत्रियां स्व. धन्ना हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के नाम राजस्व ल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर । निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर ो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीपलू (टोंक)
जिला टोंक

Scanned with CamScanner